बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक— 8 बजट (1) 21/2025 166(170) आ० **दिनांक**— 25/02/2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन, बिहार।

सेवा में

रजिस्ट्रार,
बिहार पशु चिकित्सा परिषद्,
पटना।

विषय ः— **वित्तीय वर्ष 2025—26 में मांग संख्या—02, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाऐं तथा पशु स्वास्थ्य, 0301 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्रकोड 02—2403001010301 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिए ₹ 1,91,000/— (एक लाख एकानवे हजार) मात्र का आवंटन।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या 854 दिनांक 17.02.2026 के आलोक में निम्न तालिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 में व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 1,91,000/— (एक लाख एकानवे हजार) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	आवंटित राशि (रू0 में)
1	2	3	4
1	01— वेतन	0301.01.01 — वेतन	1,18,000
2		0301.01.03 — जीवन यापन भत्ता	60,000
3		0301.01.04 — मकान किराया भत्ता	13,000
योग — वेतन एवं भत्ते			**1,91,000**
₹ 1,91,000/— (एक लाख एकानवे हजार) मात्र।			

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 में मांग सं०—02 के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाऐं तथा पशु स्वास्थ्य, 0301 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मांग संख्या—02, विपत्रकोड 02—2403001010301 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 में राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Programme-LH & DCP) के के तहत ''बिहार पशु चिकित्सा परिषद् (Bihar Veterinary Concil) की स्थापना की योजना (शत—प्रतिशत)'' के अवधि विस्तार हेतु व्यय की पूरक योजना हेतु दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, 227/वि0 दिनांक 28.03.2025, 235/वि0 दिनांक 01.04.2024, पत्रांक 410/वि0 दिनांक 12.06.2025 एवं 600/वि0 दिनांक 06.08.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग —1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025—26 का प्रर्त्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या— 8 बजट (1) 21/2025...166 (190)...आ०/ पटना—15, दिनांक...25.../...02.../2026

प्रतिलिपि — उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या—टी0ए0—57—96—97—प0पा0—9—46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0—405/98 पार्ट—3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा—09/योजना शाखा—10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड एवं ई—मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।